

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-4 / अ0प्र0-1-01 / 2016

713

/पटना दिनांक 23.12.25

ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंताओं (असैनिक) को वित्त विभाग की संकल्प संख्या-4685 वि0(2) दिनांक 25.06.2003 एवं संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिये जाने हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय का0आ0सं0 72 सह पठित ज्ञापांक 1757 दिनांक 10.02.2025 की कंडिका-05 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नरूपेण स्क्रीनिंग कमिटी का गठन किया जाता है:-

- 1 अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव / - अध्यक्ष
अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
- 2 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित उप सचिव / - सदस्य
संयुक्त सचिव / अवर सचिव
- 3 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति के पदाधिकारी - सदस्य
- 4 आन्तरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य
- 5 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में श्री तारिक अनवर, - सदस्य
तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज
- 6 संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / - सदस्य
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(निर्मल कुमार)


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4 / अ0प्र0-1-01 / 2016

12937

/पटना दिनांक 23.12.25


प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/श्री तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, अंचल, किशनगंज/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-01/2016 12937

/पटना दिनांक- 23.12.23

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

Stu